न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या—16/22

वीरवती पुत्री स्व0 मोतीराम पत्नी श्री रामजीवन जाति मीना नि0 खेडली गदाली तह0 महुआ जिला दौसा।

— वादनी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय वैर भरतपुर।

—प्रतिवादी

— दावा डिक्लेरेशन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थितिः—

प्रार्थी की ओर से श्री ओम प्रकाश व्यास एडवोकेट।

राज0 सरकार जरिये सरकार तहसीलदार वैर।

आदेश

दिनांक 11.03.2022

वाद—पत्र में वर्णित आराजी ख0न0 218 रकवा 0.19, 431 रकवा 0.03, 484 रकवा 0.07, 632 रकवा 0.76, 633 रकवा 0.01, 634 रकवा 0.85, 697 रकवा 0.22, 698 रकवा 0.03, 700 रकवा 0.01, 701 रकवा 0.27, 705 रकवा 0.26, 718, रकवा 0.26, 757 रकवा 0.19, 761/945 रकवा 0.07, 771 रकवा 0.22, 785/946 रकवा 0.03, 792/942 रकवा 0.14, 795 रकवा 0.08, 798 रकवा 0.11, 915 रकवा 0.14, 919 रकवा 0.19, 92/944 रकवा 0.05, 925 रकवा 0.19, कुल किता 23 रकवा 4.37 है0 वाके ग्राम जगजीवनपुर तह0 वैर में स्थित है जिसमें वादिनी 1/24 हिस्से की खातेदारी काश्तकार एवं काबिज आराजी है। आराजी ख0न0 655 रकवा 0.45, 661 रकवा 0.61 है0 कुल किता 2 रकवा 1.06 है0 वाके ग्राम मौखरौली तह0 वैर में स्थित है जिसमें वादिनी 1/24 हिस्से की खातेदा काश्तकार एवं काबिज आराजी है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वाके ग्राम जगजीवनपुर एवं मौखरौली तह0 वैर में वादिनी का नाम वीरवती के स्थान पर सहवन से बाई मीना दर्ज हो गया है। जबकि वादिनी का नाम आधार कार्ड एवं राशन—काड में वीरवती ही दर्ज चला आ रहा है तथा इसी प्रकार से भी गांव में भी वीरवती के नाम से पुकारते है।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी की ओर से अपने जबाव में बाई मीना पुत्र मोतीराम वीरवती पुत्री मोतीराम मीना नि0 जगजीवनपुर दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसका सही नाम वीरवती मीना है।

प्रार्थी की ओर से वाद–पत्र के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 एवं आधार–कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

वादिनी के वाद एवं पैरोकार सरकार के जबाब एवं पत्रावली का भली–भांती अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी 2075 से 2078 में बाई मीना पुत्री मोतीराम दर्ज है एवं पहचान पत्र की फोटो प्रति में वीरवती पुत्री रामजीलाल जाति मीना नि0 जगजीवनपुर तह0 वैर भरतपुर दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिनी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जातें है। कि उक्त वर्णित आराजी में वादिनी का नाम बाई मीना पुत्री मोतीराम के स्थान पर वीरवती मीना पुत्री मोतीराम जाति मीना नि0 जगजीवनपुर तह0 वैर भरतपुर दर्ज किया जावे। जिसके राजस्व रिकार्ड में शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार वैर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर